सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 156 राँची, मंगलवार, **1** पौष, 1937 (श०) / 22 दिसम्बर, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रषासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

10 दिसम्बर, 2015

1. उपायुक्त, गोड्डा का पत्रांक-352N, दिनांक 4 मार्च, 2011 एवं पत्रांक-847N/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 14 अगस्त, 2014
2. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-2854, दिनांक 5 मई,2011
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-4443, दिनांक 01 अगस्त, 2011, पत्रांक-8100, दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 एवं संकल्प संख्या-10404, दिनांक 22 अगस्त, 2014
4. विभागीय जाँच पदाधिकारी का पत्रांक-135/2015, दिनांक 25 जून, 2015

संख्या-5/आरोप-1-81/2014 का०- 10474--श्री विजयेन्द्र कुमार, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला- दुमका), तत्कालीन प्र0वि0पदा0, पत्थरगामा, गोड्डा के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-2854, दिनांक 05 मई, 2011 के माध्यम से उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-352N, दिनांक 4 मार्च, 2011 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है।

प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध आरोप है कि- "मनरेगा योजना सं०-02/ 10-11 ग्राम पंचायत-लतौना में गंगारामपुर ट्रांसफरमर से गंगटी सीमा तक मिट्टी-मोरम पथ में फर्जी मस्टर रौल तैयार करके शाखा डाकघर- लतौना के डाकपाल से मिलकर लोकधन का गबन कर लिया गया। दिनांक-19 सितम्बर, 2010 से दिनांक 25 सितम्बर, 2010 तक कार्य करने वाले मजदूर के लिए तैयार मस्टर रॉल क्रमांक 28 एवं 29 पर श्री सुधाकर मेहरा एवं उनकी पत्नी श्रीमती इन्दु देवी का नाम अंकित है, जो कि कभी उक्त योजना में कार्य नहीं किये हैं और न ही कभी वे लोग डाकघर में भुगतान पाने के लिए ही गये हैं, जबकि आपके द्वारा उभय मजदूरों को मजदूरी भुगतान के लिये मस्टर रौल पारित करते हुए पोस्ट ऑफिस में उनके खाते में भुगतान करने हेतु एडवाइस भी भेजा गया।"

उक्त आरोपों के लिए श्री कुमार से विभागीय पत्रांक-4443, दिनांक 1 अगस्त, 2011 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके पत्र, दिनांक 17 अगस्त, 2011 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक-8100, दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा से श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य की माँग की गयी एवं स्मारित भी किया गया। उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-847एन/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 14 अगस्त, 2014 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें कहा गया है कि श्री कुमार द्वारा विषयगत योजना में लापरवाही बरती गयी है। साथ ही, इनके विरूद्ध अनियमित भुगतान के लिए विभागीय कार्यवाही चलाये जाने की अनुशंसा की गयी।

उपायुक्त, गोड्डा से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त, विभागीय संकल्प संख्या-10404, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी एवं श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्ति किया गया है।

विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-135/2015, दिनांक 25 जून, 2015 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। विभागीय कार्यवाही के दौरान आरोपी पदाधिकारी श्री कुमार द्वारा समर्पित बचाव बयान में निम्नवत् तथ्य अंकित किये गये हैं:-

श्री सुधाकर मेहरा सहित सभी जॉब कार्डधारी मजदूरों द्वारा गोड्डा कोर्ट में शपथ-पत्र दायर किया गया है कि उन्होंने इस योजना में कार्य किया है एवं डाकघर के खाता द्वारा पूर्ण भुगतान मिल गया है तथा उनलोगों ने उप विकास आयुक्त, गोड्डा के

समक्ष किसी भी प्रकार का बयान नहीं दिया है। मिट्टी की प्रकृति के अनुरूप 73 घनफीट कार्य पर एक मानव दिवस का भुगतान किया गया है। जाँच-दल द्वारा 21 जनवरी, 2011 को पुनः मापी किया गया। जबकि तीन माह पूर्व से ही उक्त योजना में कार्य कराया जा रहा था। पथ के दोनों तरफ रैयती जमीन है, जिसमें भू-स्वामी द्वारा जमीन का समतलीकरण कर रबी फसल की बुआई भी की जा चुकी थी। जाँच के दौरान कनीय अभियंता एवं ग्राम रोजगार सेवक द्वारा उक्त भू-भाग की मापी का आग्रह किया गया परंतु जाँच-दल के सदस्यों द्वारा उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। अगर मापी की जाती तो मापी में अंतर नहीं पाया जाता। संयुक्त जाँच दल द्वारा समर्पित जाँच-प्रतिवेदन में गबन संबंधी राशि में काफी विरोधाभास है- (क) जाँच-प्रतिवेदन के पृ0 17 में कहा गया है कि मो0 107147.00 रूपये का गबन किया गया है। (ख) पृ0 18, 19 एवं 20 में कहा गया है 27 मजदूरों के नाम फर्जी तौर पर मो0 41877.00 की निकासी की गयी। (ग) पृ0 12, 13, 14, 15 पर pits to pits measurement मापी रिपोर्ट दर्ज कर बतलाया गया है कि 10653.62 घनफीट का अवैध भुगतान मो0 14355.00 रूपये किया गया। (घ) तत्कालीन उपायुक्त श्री वीरेन्द्र मिश्र के ज्ञापांक-543(N) एवं 544(N), दिनांक 29 मार्च, 2011 द्वारा 62964.00 रूपये का गबन बतलाया गया है। (ङ) वर्तमान उपायुक्त श्री राजेश कुमार शर्मा के ज्ञापांक-905(N)/DRDAदिनांक 1 सितम्बर, 2014 द्वारा मो0 203191.00 रू0 का गबन का आरोप लगाकर कनीय अभियंता एवं ग्राम रोजगार सेवक को पदमुक्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश निर्गत किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि जाँच-प्रतिवेदन विश्वनीयता की कसौटी पर सही नहीं है ।

इसके अतिरिक्त, श्री कुमार का यह भी कहना है कि यदि मजदूरों द्वारा गोड्डा कोर्ट में दायर शपथ-पत्र को संदेहास्पद माना जा रहा है तो इससे अधिक प्रभावपरक प्रमाण क्या हो सकता है। यह सही है कि शपथ-पत्र जाँच के बाद का है, लेकिन इसकी सत्यता से इनकार नहीं किया जा सकता है। मापी संबंधी त्रुटियों के संबंध में कहना है कि जाँच मेरे तबादला होने के बाद की गयी है। जाँच-दल से आग्रह किये जाने के बाद भी पथ के दोनों ओर के रैयती जमीन के कटाई की मापी नहीं की गयी। मजदूरों के द्वारा रैयतों के जमीन की कटाई की जाती है लेकिन फसल बुआई के कारण Pits दिखायी नहीं पड़ता है। अगर तत्संबंधी मिट्टी की मापी कर ली जाती तो मापी में अंतर नहीं आता। मिट्टी की प्रकृति तय करना तकनीकी विषय है। इसमें अधोहस्ताक्षरी की कोई भूमिका

नहीं है। पूरे प्रकरण में मनरेगा संबंधी कार्य के लिये प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के भूमिका की चर्चा नहीं की गयी, जबकि मनरेगा कार्य हेतु ही उनकी नियुक्ति की जाती है।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा आदेश फलक में निम्नवत् निष्कर्ष अंकित किये गये हैं:-

आरोपित पदाधिकारी के कारण पृच्छा एवं विभागीय पक्ष में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि योजना में गबन की राशि अस्पष्ट है। इस योजना का कार्यान्वयन 02 पदाधिकारियों के कार्यकाल में हुआ है। दोनों पदाधिकारियों को कार्यकाल में कराये गये कार्य, मिट्टी कटाई का सत्यापन अलग-अलग नहीं है।

यद्यपि मापी पुस्त में दर्ज मापी से तीन माह बाद इसके सत्यापन के आधार पर pits measurement की मात्रा में 10655 घनफीट का अंतर है। ऐसी स्थिति में इसकी जिम्मेदारी केवल आरोपी पदाधिकारी पर ठहराना उचित नहीं है। इस योजना में प्रयुक्त मिट्टी की किस्म का निर्धारण तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा करते हुए मापी पुस्त में दर्ज किया गया है, जिसके लिये आरोपी पदाधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।

आरोपी पदाधिकारी ने कनीय अभियंता के द्वारा प्रस्तुत मापी विपत्र एवं मेट के द्वारा तैयार किये गये मस्टर रॉल के आधार पर मजदूरों का भुगतान पासबुक से किया गया है। मस्टर रॉल के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसका संधारण केवल मेट के भरोसे छोड़ दिया गया था। इस प्रकार, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, कनीय अभियंता, प्रखण्ड कार्यक्रम पदा0, के द्वारा सत्यापन कराये बगैर भुगतान किया गया है ।

श्री सुधाकर मेहरा द्वारा शपथ-पत्र का सत्यापन कराये बगैर उपायुक्त, गोड्डा द्वारा इसे संदेहास्पद की श्रेणी में रखा गया है। श्री मेहरा की स्वीकारोक्ति से ही स्पष्ट है कि जाँच की तिथि 6 फरवरी, 2011 तक उन्हें मजदूरी भुगतान नहीं हुआ था और शपथ-पत्र के निष्पादन के पूर्व भुगतान हो गया था। आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होते हैं ।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान तथा उपायुक्त, गोड्डा के मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया है कि आरोपित पदाधिकारी के द्वारा कार्य पर निगरानी नहीं रखी गयी तथा अनुश्रवण नहीं किया गया। भुगतान के पूर्व कार्य का सत्यापन नहीं कराया गया, फलस्वरूप गड़बड़ी हुई ।

समीक्षोपरान्त, उक्त आरोपों हेतु श्री कुमार को एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री विजयेन्द्र कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 156—50 ।